बिहार सरकार

वित्त (अंकेक्षण) विभाग

बिहार पटना।

अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या :– 54/14–15

(1) परिचयात्मक :–

(क) अंकेक्षित लेखा का नाम – अंचल कार्यालय, दनियावाँ, पटना।

(ख) अंकेक्षण का लेखावधि – वर्ष 2012–13 से 2013–14 तक

(ग) प्रशासी विभाग का नाम – राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना।

(घ) अंकेक्षित अवधि के नियंत्री

पदा0 का नाम, पदनाम एवं कार्यकाल –

1. श्री संजय कुमार सिंह जिला पदाधिकारी दिनांक 1.4.12 से 15.1.13 तक

2. श्री एन सरवन कुमार जिला पदाधिकारी दिनांक – 16.1.13 से 31.3.14

(ड़) अंकेक्षित अविध के लेखा के पदाधिकारी का नाम,

पदनाम एवं कार्यकाल –

(1) लेखा प्रभारी :– 1. श्री मुकेश कुमार अंचलाधिकारी दिनांक– 1.4.12 से 31.3.14

(2) रोकड़ पाल :– 1. श्री श्याम कुमार दिनांक– 1.4.12 से जून– 13 तक

2. श्री अजय कुमार दिनांक– जुलाई 13 से 13.2.14 तक

3. श्री संदीप कुमार दिनांक– 14.2.14 से दि0–31.3.14 तक।

(3) प्रधान लिपिक :– 1. श्री कृष्ण मुरारी वर्मा दिनांक– 1.4.12 से 1.2.14 तक।

2. श्री राज कुमार दिनांक– 2.2.14 से 31.3.14 तक।

(च) अंकेक्षण में सहयोग देनेवाले पदा0/कर्म0 का नाम एवं पदनाम – 1. श्री राज कुमार, प्रधान लिपिक।

2. श्री संदीप कुमार, रोकड़ पाल।

3. श्री राजेन्द्र पंडित राजस्व कर्मचारी सह अंचल निरीक्षक।

(छ) वरीय अंकेक्षकों के नाम –

1. श्री रामचन्द्र प्रसाद , व0 अं0– 2

2. श्री विकाश कुमार चरण ,व0 अं0–2

(ज) अंकेक्षण प्रारंभण तिथि – दि0 21.2.2014

(झ) अंकेक्षण समाप्ति तिथि – दि0 16.9.2014

(ञ) अंकेक्षण में व्यतीत कार्य दिवस – 42 कार्य दिवस

(ट) अंकेक्षण में प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची :–

अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट 'क' पर अंकित हैं।

(2) अंकेक्षण का क्षेत्र –

(i) अंकेक्षण का प्रकार – सामान्य।

(ii) वित्त (अंकेक्षण) विभाग के आदेश संख्या एवं तिथि – विभागीय ज्ञापांक 3286 दिनांक 15.9.60 के निर्देशानुसार कार्य सम्पन्न किया गया।

(iii) कार्यालय का कार्यक्षेत्र – भू– राजस्व लगान वसूली, भू0 मापी भूमि विवाद निपटारा, एवं भू दाखिल खारिज, प्राकृतिक आपदा, भूमि सुधार अधिनियम लागू करना, आवास एंव आय प्रमाण पत्र निर्गत करना।

(iv) वित्तीय स्त्रोत – आवंटन एवं राजस्व के रूप में प्राप्त राशि।

(v) कोषागार अभिलेख से शत् प्रतिशत् निकासी एवं जमा का सत्यापन किया गया एवं सही पाया गया।

(vi) महालेखाकार के पूर्व निरीक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन की स्थिति :– अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया।

(vii) वित्त (अंकेक्षण) विभाग के पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन के अनुपालन की स्थिति :– अंकेक्षण प्रतिवेदन 117/12–13 का अनुपालन सत्यापन किया गया।

(3) वित्तीय समीक्षा :–

(1) आवंटन की स्थिति में क्या आवंटन से अधिक निकासी की गई थी :– नहीं।

आवंटन एंव व्यय विवरणी एवं आय– व्यय विवरणी परिशिष्ट 'ख' पर अंकित हैं। आवंटन एवं व्यय विवरणी से स्पष्ट होता है कि बचत राशि का प्रत्यार्पण किया गया था। अंचल कार्यालय दनियावाँ के वर्ष 2012–13 एंव 2013–14 के माँग एवं संग्रहण परिशिष्ट ''ग'' पर दी

गई हैं। माँग एवं संग्रहण विवरणी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2012–13 के माँग के विरूद्ध वसूली के पश्चात राजस्व का बकाया राशि रू0 24931.70 वसूली हेतु लम्बित रहा जबकि वर्ष 2013–14 के प्रारम्भण शेष के रूप में राजस्व बकाया रू0 213349.70 अंकित किया गया हैं। जिस ओर प्रशासी विभाग का ध्यान आकृष्ट किया जाता हैं। दूसरी ओर माँग के अनुरूप राजस्व की वसूली कम हुई है। प्रशासी विभाग का इस ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता हैं। वर्ष 2012–13 में 93.23% एवं वर्ष 2013–14 में 87.12% ही वसूली हुई। अतः राजस्व की शत् प्रतिशत् वसूली की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाता हैं।

(2) अनुदान की स्थिति में :– वर्ष 2012 –13 में अग्नि सहाय्य अनुदान प्राप्त था एवं वर्ष 2013–14 में भी अग्नि सहाय्य अनुदान प्राप्त था, जिसका वितरण किया गया था।

(3) प्राप्त अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रशासी विभाग को प्रेषित किया गया था।

(4) रोकड़ पंजी में संवरण शेष के भौतिक सत्यापन की स्थिति :– भौतिक सत्यापन किया गया अंकेक्षण प्रारम्भण तिथि 21.2.2014 को संवरण शेष रू0 – 8,64,722.73 का किया गया।

(5) रोकड़ पुस्त में संवरण शेष दिनांक 21.2.14 की स्थिति निम्नवत् हैं।

(क) नगद – 20,830.33

बैंक खाता में कुल राशि भारतीय स्टेट बैंक इन्दियाँ

शाहजहाँपुर के खाता सं0 – 11836695376 में – 5,81,157.76

असमायोजित अभिश्रव – 2,62,734.64

कुल – 8,64,722.73

अंकेक्षण वर्ष 2012–13 का प्रारंभण शेष की स्थिति निम्न थी। दिनांक – 1.4.12 की शीर्षवार स्थिति।

1. शीर्ष 2029 भू0 राजस्व वेतनादि मद में – 4,30,127.43
2. शीर्ष 2055 पुलिस वेतनादि मद में – Nill
3. शीर्ष 2245 सहाय मद में – 2,11,400.00
4. शीर्ष 2401 कृषि – 31,12.00
5. 0070 सूचना के अधिकार – 31613.00

कुल – 6,76,252.43

रोकड़ की स्थिति

1. बैंक खाता में चेक पंजी के अनुसार – 2,41497.76
2. पारित अभिश्रव – 2,05,415.64
3. लिपिकीय भूलवश कार्यालय में सामंजन हेतु प्राप्ति में दशाई गई राशि – 32,248.00
4. बैंक में जमा राशि जो चेक पंजी के प्राप्ति में दर्शाया नहीं जा सका हैं। – 1,83,295.00
5. एकल ताला – 13,766.03

कुल – 6,76,252.43

अंकेक्षण समाप्ति वर्ष – 31.3.14 का संवरण शेष दिनांक– 31.3.14 का शीर्षवार संवरण शेष –

1. शीर्ष 2029 भू0 राजस्व – 29,219.67

2. शीर्ष 0029 भू0 लगान – 73,650.00

3. शीर्ष – 2245 सहाय – 2,11,400.00

4. शीर्ष – 2055 पुलिस – 9,94,828.00

5. शीर्ष – 2401 कृषि – 3112.00

6. सूद की राशि शीर्ष 0049– 3,24,879.76

कुल – 16,37,089.43

रोकड़ की स्थिति 31.3.14

1. बैंक में – 14,16,749.76

2. असमायोजित अभिश्रव – 2,15,433.64

सिंगल लौक – 4,906.03

कुल– 16,37,089.43

(4) अंकेक्षित कार्यालय के स्वीकृत/कार्यरत/रिक्त पदों का विवरण :–

पद	स्वीकृत बल	कार्यरत	अकिध/कम
अंचलाधिकारी	1	1	–
अंचलानिरीक्षक	1	–	1 कम
प्रधान लिपिक	1	1	–
लिपिक	3	2	1 कम
राजस्व कर्मचारी	3	2	1 कम
दफादार	6	3	3 कम

चौकीदार	36	23	13 कम
आदेशपाल	1	1	शून्य

भाग–2

कंडिका सं0 –5 कुल रूपयें 3648.45 राजस्व राशि का गबन :–

हल्का सं0 –2 राजस्व अभिलेखों की जाँच एवं सत्यापन क्रम में पाया गया कि हल्का नं0–2 के कर्मचारी श्री राजेन्द्र पंडित द्वारा राजस्व रसीद संख्या 752801 से 752850 तक कुल 50 लगान रसीदों से विभिन्न व्यक्तियों से कुल रूपये 3648.45 की राशि एक ही तिथि दिनांक 3.9.12 को वसूल की गई थी, जिसका हल्का रोकड़ पुस्त –III 'अ' में अंकित नहीं पाया गया न तो अंचल नजारत में जमा किया गया था। अंकेक्षण क्रम में निर्गत आपत्ति के अनुपालन क्रम में नाजीर रसीद संख्या 104035 दिनांक 16.6.2014 द्वारा रूपयें 3648.45 अंचल नजारत में जमा कर दी गई, जिसे यथाशीध्र कोषागार में जमा करने का सुझाव दिया जाता हैं।

उक्त स्थिति में यह स्पष्टतः गबन हैं। उक्त गबन के विरूद्ध सम्बन्धित कर्मी पर निधि सम्मत/विभागीय कारवाई अपेक्षित हैं। कारवाई की सूचना से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत कराया जाय।

कंडिका –6 नाजीर रसीद से प्राप्त राशि को आय पक्ष में अंकित न कर रूपयें 2260.00 का गबन :–

नाजीर रसीद वर्ष 2013–14 एवं शीर्ष 2029 भू0 राजस्व के सहायक रोकड़ पंजी के जाँच एवं सत्यापन क्रम में पाया गया कि निम्नांकित नाजीर रसीदों द्वारा रूपयें 2260.00 की

वसूली की गई थी। लेकिन सहयक रोकड़ पंजी के आय पक्ष में नहीं लाया गया। वह पैसा लिपिक/नाजीर द्वारा अपने पास रख लिया गया। जो निम्न प्रकार हैं।

क्र0	नाजीर रसीद संख्या	वर्ष	जिससे वसूली की गई	वसूली का उद्धेश्य	रकम	तिथि
1	437543	2013–14	मुन्नी देवी तरौरा	नाजी शुल्क	1130.00	10.6.13
2	437544	2013–14	जविशन गोप दनाड़ा	जमीन नापी शुल्क	1130.00	20.6.13
				कुल –	2260.00	

उपर्युक्त राशि के सम्बन्ध में निर्गत आपत्ति का अनुपालन नहीं किया गया न तो अंकेक्षण समाप्ति तिथि तक राशि की जमा की गई। भौतिक सत्यापन में भी उपरोक्त राशि के रूप में अधिक राशि अंकित नहीं पायी गयी। उक्त स्थिति में रूपये 2260.00 का गबन नाजीर द्वारा कर लिया गया। इस पर उच्चधिकारी का ध्यान आवश्यक कारवाई हेतु आकृष्ट किया जाता हैं।

(7) राजस्व की कम जमा राशि रू0 467.00 वसूली योग्य :–

कंडिका (क) राजस्व की राशि रूपयें 235.50 वसूली योग्य :–

शीर्ष 2029 माल गुजारी रसीद एवं पंजी 3 III A वर्ष 2012–13 के जाँच एवं सत्यापन क्रम में पाया गया कि काटी गई मालगुजारी रसीद एवं पंजी 3 III A में अंकित राशियों में पाया गया जो अंचल नजारत में जमा नहीं किया जा सका।

पूर्ण विवरण निम्नवत् हैं।

हल्का नं0	मलगुजारी रसीद सं0	तिथि	रसीद में अंकित राशि	पंजी III A में अंकित राशि	अन्तर राशि	कुल वसूली योग्य राशि
1	62256	7.6.12	98.00	48.00	50	
1	753607	11.1.13	15.00	2.50	12.50	
1	753722	14.1.13	180.00	19.00	161.00	
2	62716	18.5.12	227.85	224.85	3.00	
3	62456	1.7.12	354.75	345.75	9.00	
कुल –			875.60	640.10	235.50	

अतः उपर्युक्त रूपयें 235.50 अन्तर राशि को सम्बन्धित व्यक्ति से वसूली योग्य हैं।

कंडिका (ख) रूपये 147.00 वसूली योग्य :–

वर्ष 2012–13 के हल्का नं0 –I के राजस्व मालगुजारी रसीद एवं पंजी III के जाँच एवं सत्यापन कार्य में पाया गया कि रसीद संख्या 753100 दिनांक 12.10.12 को वसंती देवी पति जितेन्द्र प्रसाद ग्राम सलारपुर को रूपयें 147.00 राजस्व रसीद काटा गया था। परन्तु उक्त

राशि पंजी III A में नहीं लाया गया था। इस प्रकार यह रूपयें 147.00 कर्मचारी के पास ही रह गया तथा अंचल नजारत में जमा नहीं किया जा सका। जो दोषी व्यक्ति से वसूली योग्य हैं।

कंडिका 'ग' राजस्व राशि रूपयें 60.00 वसूली योग्य :–

वर्ष 2012–13 के हल्का न0–1 के माह गुजारी रसीद एवं पंजी III A के जाँच एवं सत्यापन क्रम में पाया गया कि मालगुजारी रसीद संख्या 368916 जो श्री परमानन्द सिंह ग्राम बाँकी पुर मछरयावाँ के नाम से दिनांक 7.5.12 को रूपयें 710.00 का काटा दिखाया गया था। लेकिन इस रसीद का योग करने पर वास्तविक योग 770.00 रूपयें होता हैं। अतः रू0 60.00 सम्बन्धित कर्मचारी के पास रह गया। अर्थात अंचल नजारत में जमा नहीं किया जा सका।

अतः रूपये 770.00–710.00 = रूपये 60.00 सम्बन्धित व्यक्ति या कर्मचारी से वसूली योग्य हैं।

कंडिका (घ) राजस्व राशि 24.50 वसूली योग्य :–

राजस्व मालगुजारी रसीद एवं पंजी III A वर्ष 2013–14 के जाँच एवं सत्यापन क्रम में निम्नांकित अन्तर पाई गई जो निम्न प्रकार हैं।

हल्का नं0	रसीद संख्या एवं वर्ष	तिथि	रसीद द्वारा प्राप्त रकम	पंजी III A में दर्ज रकम	अन्तर राशि	वसूली योग्य राशि
I	537122 13–14	6.5.13	260	250	10.00	

I	537182 13–14	19.8.13	87	77	10.00	
I	79705 13–14	4.2.14	1134	1129	4.50	
				कुल –	24.50	

अतः रूपयें 19.00 अन्तर वसूली योग्य राशि को सम्बन्धित राजस्व कर्मचारी से वसूली योग्य हैं। अतः उप कंडिका क, ख, ग एवं घ में क्रमशः अंकित रू0 235.50+147.00+60.00+24.50 कुल रू0 – 467.00 दोषी उत्तरदायी कर्मियों से वसूलकर कोषागार में जमा किया जाए साथ ही सम्बन्धित कर्मियों को भविष्य में ऐसी भूल की पुनरावृत्ति नहीं किये जाने की चेतावनी दी जा सकती हैं।

कंडिका (8) रूपयें 200.00 का गबन :–

शीर्ष 2029 भू0 राजस्व के अभिश्रव एवं सहायक रोकड़ पंजी के जाँच एवं सत्यापन क्रम में पाया गया कि विपत्र सं0 60/12–13 के अन्तर्गत अभिश्रव संख्या 20/12–13 के द्वारा मेसर्स पटेल पुस्तक भन्डार दनियावाँ से दो वैकेट कागज खरीद किया गया था। अंचलाधिकारी द्वारा अभिश्रव पर मात्र 240.00 (दो सौ चालीस रूपयें) की स्वीकृति पारित गई थी। लेकिन सहायक रोकड़ पंजी पृष्ठ 56 पर दिनांक 12.1.13 को रूपयें 440.00 व्यय दिखाया गया था। फलस्वरूप रू0 200.00 की संवरण शेष में कमी हुई।

अतः गबन की राशि रूपये 200.00 के विरूद्ध दोषी व्यक्ति पर आवश्यक कार्रवाई करते हुए राशि की वसूल की जाय।

कंडिका (9) रूपयें 41841.00 का अनियमित भुगतान आपत्ति अन्तर्गत :—

शीर्ष 2029 भू0 राजस्व के अभिश्रवों के जाँच क्रम में पाया गया कि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 1192 दि0 26.3.10 एवं 66 दि0 6.1.2012 से प्राप्त निदेश के आलोक में दैनिक पारिश्रमिक पर कोई भी कर्मी को रखकर कार्य नहीं लिया जाना हैं। उपर्युक्त पत्र के आलोक में जिला पदाधिकारी , पटना द्वारा भी पत्रांक 1033 / स्था0 18.5.10,225 / स्था0 21.9.10 12381 / स्था0 दि0 16.11.10, 45 / स्था0 8.1.11, 666 / स्था0 28.2.11, 35 / स्था0 3.1. 12 एवं 520 / स्था0 दिनांक 13.2.12 द्वारा अंचलाधिकारी दनियावाँ के कार्यालय में दैनिक पारिश्रमिक पर कर्मी को रखकर कार्य नहीं लेने का निर्देश प्राप्त था। फिर भी उपर्युक्त सभी आदेशों का अनुपालन नहीं करते हुऐ दैनिक पारिश्रमिक पर कर्मी से चालक का कार्य लिया गया एवं उन्हें पारिश्रमिक का भुगतान किया गया जो निम्न प्रकार हैं।

क्र0	विपत्र सं0 एवं वर्ष	अभिश्रव सं0 एवं वर्ष	भुगतान प्राप्त करने वालों कर्मचारी का नाम	जीप चालक	मद	माह	दर	दिनों की सं0	भुगतान राशि	तिथि
1	61 / 12—13	22 / 12—13	मुन्ना कुमार	जीप चालक	चालक	फरवरी 12	129	8	1032	10.1.13
2	"	23 / 12—13	"	"	"	मार्च 12	183	17	3111	"

3	"	24/12–13	"	"	"	अप्रैल12	183	10	1830	"
4	"	25/12–13	"	"	"	मई 12	183	25	4575	"
5	"	26/12–13	"	"	"	जून 12	183	19	3477	"
6	"	27/12–13	"	"	"	जुलाई 12	183	23	4209	"
7	75/12–13	14/12–13	"	"	"	अगस्त 12	183	21	3843	29.1.14
8	"	15/12–13	"	"	"	सितम्बर 12	183	16	2928	"
9	"	16/12–13	"	"	"	अक्टूबर 12	183	16	2928	"
10	"	21/12–13	"	"	"	नम्वर 12	183	16	2928	"
11	"	–	"	"	"	दिसम्बर 12	183	16	2928	"
12	"	–	"	"	"	जनवरी 13	183	20	3660	"
13	"	25/12–13	"	"	"	फरवरी 13	183	24	4392	"
								कुल	41841.00	

अतः उपर्युक्त सभी विपत्रों द्वारा किया गया भुगतान से स्पष्ट होता है कि सरकार एवं जिला पदाधिकारी पटना के आदेश का उल्लधन करते हुए दैनिक कर्मी को रखकर उसका भुगतान किया गया।

अतः रूपये 41841.00का अनियमित भुगतान की ओर उच्च पदाधिकारी एवं प्रशासी विभाग का ध्यान उक्त अनियमिता पर आवश्यक जाँच एवं कारवाई हेतु आकृष्ट करते हुए अनुपालन प्राप्त होने/स्वीकृति प्रदान करने तक आपत्ति अन्तर्गत रखा जाता हैं। विपरित परिस्थति दोषी उत्तरदायिक व्यक्ति से राशि वसूल की जा सकती हैं।

कंडिका (10) – रूपयें 99603.00 अभिश्रव अनुपलब्ध आपत्ति अन्तर्गत :–

शीर्ष 2029 भू0 राजस्व के सहायक रोकड़ पंजी वर्ष 2012–13 के जाँच एवं सत्यापन क्रम में पाया गया कि सहायक रोकड़ पंजी के पृष्ठ 33 पर दिनांक – 3.5.12 को रूपये 99,603.00 का खर्च (व्यय का विवरण अंकित नही) दिखाकर संवरण शेष को कम कर दिया गया था। इस सम्बन्ध में खर्च से सम्बन्धित कोई अभिलेख/अभिश्रव अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। फलस्वरूप व्यय का औचित्य स्पष्ट नहीं हो सका तथा सत्यता की जाँच नहीं की जा सकी इस सम्बन्ध में आपत्ति निर्गत किया गया था। लेकिन उसका संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया गया। उक्त स्थिति में सुझाव दिया जाता है कि उच्च पदा0 द्वारा व्यय राशि की औचित्यता एवं वास्तविकता की जाँच कर अनुपालन से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत कराया जाय। तत्काल रू0 99603.00 को आपत्ति अन्तर्गत रखा जाता हैं।

कंडिका (11) भुगतान पंजी/विपत्र की कार्यालय प्रति अप्रस्तुत रूपये 8000.00 आपत्ति अन्तर्गत :–

शीर्ष 2029 भू0 राजस्व के सा0 रोकड़ पंजी वर्ष 2012–13 के जाँच एवं सत्यापन क्रम में पाया गया कि निम्नांकित कर्मचारियों को यात्रा भत्ता का भुगतान किया गया था। जो निम्न प्रकार हैं।

क्र0	शीर्ष	विपत्र सं0 एवं वर्ष	कर्मचारी का नमा एवं पदनाम	रकम	भुगतान तिथि
1	2029 भू0 राजस्व	44/12–13	श्री फकीर चन्द चौ0 लिपिक	6710.00	2.1.13

2	2029 भू0 राजस्व	83/12–13	श्री श्याम कुमार लिपिक	1290.00	30.3.13
			कुल–	8000.00	

उपर्युक्त यात्रा भत्ता से सम्बन्धित यात्रा भत्ता भुगतान पंजी एवं यात्रा भत्ता की कार्यालय प्रति अंकेक्षण में प्रस्तुत करने हेतु आपत्ति निर्गत किया गया। परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तिथि तक अंकेक्षण दल को उपरोक्त अभिलेख नहीं उपलब्ध कराया गया।

अतः रूपये 8000.00 का यात्रा भत्ता भुगतान के वास्तविकता की जाँच का फलाफल से वित्त (अंकेक्षण) बिहार, पटना को दी जाय।

कंडिका (12) – कुल रू0 214512.00 कोषागार में जमा करने का सुझाव :–

(क) रूपयें 3112.00 को कोषागार में जमा करने के सम्बन्ध में।

शीर्ष 2401 कोष के सहायक रोकड़ पुस्त के जाँच क्रम में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि के पूर्व में अव्यवहृत राशि रूपयें 3112.00 अंकेक्षण अवधि एवं समाप्ति तिथि तक रोकड़ पुस्त में पड़ी हुई हैं। जो बिहार कोषागार संहिता 2011 के नियम 176 एवं 177 के प्रतिकूल हैं। इन नियमों में प्रावधान है कि वित्तीय वर्ष के अन्त तक नहीं व्यय होने की स्थिति में अव्यवहृत राशि को कोषागार में जमा कर देना हैं। परन्तु आज तक अव्यवहृत राशि को अग्रणित किया जा रहा हैं।

(ख) रूपयें 2,11,400.00 को कोषागार में जमा करने के सम्बन्ध में।

शीर्ष 2245 सहाय के रोकड़ पुस्त के जाँच क्रम में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि के पूर्व से अव्यवहृत राशि रूपयें 2,11,400.00 (दिनांक– 31.3.12 तक) रोकड़ पुस्त में पड़ी हुई हैं। जो कोषागार संहिता नियम 176 एवं 177 के प्रतिकूल हैं। इन नियमों मे प्रावधान है कि वित्तीय वर्ष के अन्त तक नहीं व्यय होने की स्थिति में अव्यवहृत राशि को कोषागार में जमा कर देना हैं। परन्तु अव्यवहृत राशि को रोकड़ पुस्त में अग्रणित किया जा रहा हैं।

अतः उप कंडिका ''क'' एवं ''ख' में अंकित राशि क्रमशः रू0 3112.00 एवं 211,400.00 कुल रूपयें 2,14,512.00 अव्यवहृत राशि को यथाशीध्र कोषागार में जमा कर इसकी सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को दी जाय।

(13) कृषि भूमि के सम्परिवर्त्तन से गैर कृषि कार्य हेतु उपयोग होने पर सम्परिवर्त्तन शुल्क एवं गैर कृषि लगान निर्धारित नहीं किये जाने से राजस्व की क्षति :–

अंचल कार्यालय के लगान वसूली अभिलेख वित्तीय वर्ष 2012–13 एवं 13–14 के जाँच में पाया गया कि किसी भी हल्का में गैर कृषि कार्य हेतु भूमि का उपयोग होने पर सम्परिवर्त्तन शुल्क एवं गैर कृषि लगान नहीं लिया जा रहा है, जबकि अंचलान्तर्गत कृषि भूमि का उपयोग गैर कृषि कार्य में यथा दुकान, बाजार, बैंक, पेट्रोल पम्प, गैस एजेन्सी, ईंट भट्टा, नर्सिंग होम स्कूल आदि में उपयोग किया जा रहा है, जबकि बिहार कृषि भूमि सम्परिवर्त्तन (गैर कृषि उपयोग) अधिनियम 2010 की धारा 3 एवं 4 के अनुसार कृषि भूमि का सम्परिवर्त्तन और कृषि कार्य हेतु सम्परिवर्त्तन शुल्क भूमि के बाजार मूल्य के 10 प्रतिशत शुल्क अग्रिम राशि लेकर सक्षम पदा0 (अनुमण्डल पदा0)द्वारा किया जाना है एवं पूर्व लगान का 10 गुणा लगान निर्धारित किया जाना हैं। उक्त नियम के आलोक में कोई भी सम्परिवर्त्तन अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया

गया। इस प्रकार कृषि भूमि के अवैध रूप में सम्परिवर्त्तन नहीं किये जाने से लाखों रूपये की सरकार को क्षति हो रही हैं। इस सम्बन्ध में आपत्ति निर्गत किया गया। लेकिन उसका अंकेक्षण समाप्ति तिथि तक कोई जबाव नहीं दिया गया।

इस प्रकार अवैध सम्परिवर्त्तन की ओर प्रशासी विभाग का ध्यान आकृष्ट किया जाता हैं। कृषि भूमि का उपयोग अवैध रूप से गैर कृषि कार्य में किये जाने को अंचल कर्मचारियों से चिन्हित कराकर अधिनियम की धारा–7 के अनुसार कारवाई की जाय एवं जब से गैर कृषि के लिए भूमि का उपयोग हो रहा है उस समय के सम्परिवर्त्तन शुल्क एवं गैर कृषि लगान वसूल कर वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को सूचित किया जाय।

उप लेखा नियंत्रक

वित्त (अंकेक्षण) विभाग,बिहार, पटना।

<u>मिलान एवं शुद्धिकर्त्ता का नाम एवं पदनाम</u>

(1) अशोक कुमार राकेश
व० अ०- 2

(2)

परिशिष्ट "क" कंडिका "1" से सम्बन्धित

प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची :–

प्रस्तुत अभिलेख :–

1. विपत्र पंजी – वर्ष 2012–13 एवं 2013–14

2. सामान्य रोकड़ पुस्त वर्ष 2012–13 एवं 2013–14

3. सहायक रोकड़ पुस्त

(क) शीर्ष 2029 भू0 राजस्व वर्ष 2012–13– 2013–2014

(ख) शीर्ष 0029 भू0 लगान वर्ष 2012–13– 2013–14

(ग) शीर्ष 2235 समाजिक सुरक्षा वर्ष 2012–13– 2013–14

(घ) शीर्ष 2055 ग्रामीण पुलिस वर्ष 2012–13– 2013–14

(ङ) सूद वर्ष 2012–13– 2013–14

(च) शीर्ष 2245 सह्राय मद वर्ष 2012–13– 2013–14

(छ) वेतन भुगतान पंजी वर्ष 2012–13– 2013–14

(ज) वेतन भुगतान पंजी वर्ष 2055–2013–14

(झ) अभिश्रव पंजी वर्ष 2012–13– 2013–14

(ञ) अभिश्रव रक्षी पंजी वर्ष 2012–13– 2013–14

(ट) रेमिटेन्स पंजी वर्ष 2012–13– 2013–14

(ठ) बैंक पास बुक एवं चेक पंजी वर्ष 2012–13– 2013–14

(ड) पंजी III A सभी हल्का का वर्ष 2012–13– 2013–14

(ढ़) लगान रसीद वर्ष 2012–13– 2013–14

परिशिष्ट "क" कंडिका "1" से सम्बन्धित

अप्रस्तुत अभिलेख :–

1. सैरात पंजी एवं केस रेकड़ वर्ष 2012–13– 2013–14
2. गाड़ी का लौग बुक वर्ष 2012–13– 2013–14
3. कर्मचारियों का सेवा पुस्त
4. यात्रा भत्ता भुगतान पंजी वर्ष 2012–13– 2013–14
5. यात्रा भत्ता विपत्र का कार्यालय प्रति वर्ष 2012–13 एवं 2013–14
6. सैरात पंजी एवं केस रेकड़ वर्ष 2012–13– 2013–14

)

परिशिष्ट – "ख" कंडिका –3 से सम्बन्धित

शीर्ष 2029 भू–राजसव वर्ष 2012–13

क्रमांक	मद	आवंटन	व्यय	बचत	अभ्युक्ति प्रत्यार्पण
1	वेतन एवं भत्ता	31,87,020.00	31,64,660.00	22,360.00	पत्रांक 207 दि0 9.3.13
2	यात्रा भत्ता	8000.00	8000.00	–	–
3	कार्यालय व्यय	23,230.00	23,230.00	–	–
4	वाहन व्यय	60,000.00	60,000.00	–	–
5	पोशाक, वर्दी	–	–	–	–
6	आर0 टी0 पी0 एस0 कार्यालय व्यय	1,85,197.00	94,040.00	91,175.00	–

शीर्ष 2055 ग्रामीण पुलिस वर्ष 2012–13

क्रमांक	मद	आवंटन	व्यय	बचत	अभ्युक्ति
1	वेतन	74,36,000.00	60,37,394.00	11,98,606.00	पत्रांक 278 दि0 30.3.13
2	भत्ता	400.00	–	400.00	–

)

शीर्ष 2245 सहाय्य मद के अन्तर्गत वर्ष 2012–13 में प्राप्त आवंटन/व्यय एवं प्रत्यार्पण प्रतिवेदन

क्रमांक	मद	आवंटन	व्यय	बचत	अभ्युक्ति प्रत्यार्पण
1	अग्नि सहायता (अनुदान धरेलू सामग्री)	86,000.00	44,200.00	41,800.00	पत्रांक 204/8.3.13
2	खाद्यान्न की आपूर्ति (बाढ़)	–	–	–	
3	नाव परिचालन	–	–	–	
4	अनुग्राहिक राहत	–	–	–	
5	मकान मरम्मति	–	–	–	
6	अग्नि सहाय्य (नगद अनुदान)	18,250.00	12000.00	6250.00	पत्रांक 203/8.3.13
7	वज्रपात अनुदान	–	–	–	
8	जल संकट	–	–	–	
9	प्राकृतिक विनाश	–	–	–	

आवंटन –व्यय विवरणी (वर्ष 2013–14)

शीर्ष 2029

क्र0	इकाई	प्राप्त आवंटन	कुल व्यय	शेष राशि	प्रत्यार्पित राशि	अभ्युक्ति
1	वेतन/ग्रेड वेतन एवं अन्य भत्ता	36,41,032.00	19,37,253.00	17,03,779.00	17,03,779.00	पत्रांक 264 दि0– 27.3.14
2	जीवन यापन भत्ता	15,52,478.00	14,50,864.00	1,01,614.00	101,614.00	"
3	कार्यालय व्यय	55,000.00	55,000.00	शून्य	शून्य	"
4	वाहन ईधन एवं रख रखाव	70,000.00	68,499.00	1501.00	1501.00	"
5	वर्दी	–	–	–	–	"
6	यात्रा व्यय	3,000.00	शून्य	3000.00	3000.00	"
7	लोक सेवाओं का अधिकार (RTPS)	2,00000.00	1,99,968.00	32.00	32.00	"

)

आवंटन –व्यय विवरणी (वर्ष 2013–14)

(शीर्ष 2055)

क्र0	इकाई	प्राप्त आवंटन	कुल व्यय	शेष राशि	प्रत्यार्पित राशि	अभ्युक्ति
1	वेतन (ग्रेड वेतन सहित)	29,08,924.00	26,42,893.00	2,66,031.00	पत्रांक 270 / 26.3.14	
2	जीवन यापन भत्ता	20,95,856.00	22,73,586.00	(–) 1,77,730.00	"	
3	मकान किराया भत्ता	2,13,658.00	1,21,180.00	92,478.00	"	
4	चिकित्सा भत्ता	24,472.00	55,200.00	(–) 30,728.00	"	
5	कुल	52,42,910.00	50,92,859.00	150,051.00	"	

आवंटन –व्यय विवरणी (वर्ष 2013–14)

(शीर्ष 2245)

क्र0	इकाई	प्राप्त आवंटन	कुल व्यय	शेष राशि	प्रत्यार्पित राशि	अभ्युक्ति
1	अग्नि सहाय्य नगद अनुदान	45000.00	10500.00	34500.00	पत्रांक 269 / 28.3.14	
2	अग्नि सहाय्य वस्त्रादि के लिए	46800.00	19850.00	26950.00	पत्रांक 269 / 28.3.14	
3	वज्रपात	200000.00	200000.00	—		

)

परिशिष्ट –"ग" कंडिका –3 से संबंधित

रिटर्न–1 वर्ष 2012–13 के लिए।

(लगान का माँग एवं वसूली विवरणी)

क्र0	माँग का नाम	वर्ष 2012–13 का माँग			वर्ष 2012–13 का वसूली			शेष			अभ्युक्ति
		बकाया	वर्त्तमान	कुल	बकाया	वर्त्तमान	कुल	बकाया	वर्त्तमान	कुल	
1	रेंट	76905.30	73469.38	150374.68	67544.87	72651.53	140196.40	9360.43	817.85	10178.28	
2	सेस	19226.32	18367.34	37593.66	16886.21	18162.89	35049.10	2340.11	204.45	2544.56	
3	शिक्षा सेस	38452.64	36734.68	75187.32	33772.42	36325.78	70098.20	4680.22	408.90	5089.12	93.23%
4	स्वास्थ्य सेस	38452.64	36734.68	75187.32	33772.42	36325.78	70098.20	4680.22	408.90	5089.12	
5	कृषि सेस	15381.10	14693.92	30075.02	13509.07	14535.33	28044.40	1872.03	158.59	2030.62	
6	ब्याज										
7	सैरात										
8	कुल योग	188418.00	180000.00	368418.00	165484.93	178001.31	343486.30	22933.01	1998.69	24931.70	

परिशिष्ट –"ग" कंडिका –3 से संबंधित

रिटर्न–1 वर्ष 2013–14 के लिए।

क्र0	माँग का नाम	वर्ष 2013–14 का माँग			वर्ष 2013–14 का वसूली			शेष वर्ष (13–14)			अभ्युक्ति
		गतवर्ष	वर्त्तमान	कुल	गतवर्ष	वर्त्तमान	कुल	गतवर्ष	वर्त्तमान	कुल	
1	रेंट या लगान	87081.50	72653.60	159735.10	81591.65	57570.65	139162.00	5489.85	15083.25	20573.10	
2	सेस	21770.38	18163.40	39933.78	20397.93	14392.57	34790.00	1372.45	3770.83	5143.28	
3	शिक्षा सेस	43540.76	36326.80	79867.56	40795.86	28785.14	69581.00	2744.90	7541.66	10286.56	87.12%
4	स्वास्थ्य सेस	43540.76	36326.80	79867.56	40795.86	28785.14	69581.00	2744.90	7541.66	10286.56	
5	कृषि सेस	17416.30	14530.70	31947.00	16318.42	11513.08	27831.00	1097.88	3017.62	4115.50	
6	सूद	–	–		–	–	–	–	–	–	
7	कुल	213349.70	178001.30	391351.00	199899.72	141046.28	340946.00	13449.98	36955.02	50405.00	
8	सैरात	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

	(विविध)										
9	कुल	213349.70	178001.30	391351.00	199899.72	141046.28	340946.00	13449.98	36955.02	50405.00	

8) श्री कंचन चौधरी जिला नाजीर , दिनांक 1.4.12 से 31.3.13 तक

9) श्री दिलीप कुमार वर्मा, सहायक नाजीर, दिनांक 1.4.12 से 31.3.13 तक

10) श्री राजीव रंजन, सहायक नाजीर, दिनांक 1.4.12 से 31.3.13 तक

(ड़) अंकेक्षित अवधि के लेखा पदाधिकारी एवं कर्मचारी का नाम पदनाम एवं कार्यकाल :–

(i) श्री के0 पी0 रमैया, आ0 पटना प्रमंडल, पटना 01.04.12 से 03.09.12 तक।

(ii) श्री ई0 एल0 एस0 एन0 बाला प्रसाद आयुक्त पटना। दिनांक 4.9.12 से 31.3.13 तक

(च) अंकेक्षण में सहयोग देनेवाले पदाधिकारी एवं कर्मचारी का नाम एवं पदनाम :– (i) श्री कंचन चौधरी रोकड़ पाल

(छ) वरीय अंकेक्षकों का नाम :– (1) श्री ओम प्रकाश गुप्ता, व0अं0 – 2

(2) श्री राजीव रंजन गुप्ता, व0अं0–2

(ज) अंकेक्षण प्रारम्भण तिथि :– 04.06.2014

(झ) अंकेक्षण समाप्ति तिथि :– 21.10.2014

(ञ) अंकेक्षण में व्यतीत कार्य दिवस :– $39\frac{2}{3}$

(ट) अंकेक्षण में प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत अभिलेखों की सूचीः– अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट (क) पर अंकित है।

(2) अंकेक्षण का क्षेत्र :–

(क) अंकेक्षण का प्रकार :– सामान्य अंकेक्षण।

(ख) वित्त (अंकेक्षण) विभाग का आदेश संख्या एवं तिथि :– मुख्य लेखा नियंत्रक, वित्त (अं0) विभाग, बिहार, पटना के कार्यालय आदेश सं0 – 12 दिनांक – 22.01.14 एवं विभागीय ज्ञापांक सं0 – 3286 दिनांक 15.09.1960।

(ग) कार्यालय का कार्यक्षेत्र :– जिला स्तर पर विभिन्न कल्याण कारी योजनाओं का अनुश्रवण करना जिला स्तर पर विधि व्यवस्था बनाये रखना राजस्व भूमि विवाद था निपटारा जन शिकायत कोषांग का अनुश्रवण एवं विभिन्न शीर्षो में प्राप्त आवंटित राशि की निकासी कर व्यय करना आदि।

(घ) वित्तीय स्त्रोत :– (क) आवंटन के विरूद्ध निकासी

(ख) शिक्षा एवं अन्य मद में सरकार से चेक अथवा ड्राप्ट द्वारा प्राप्त राशि।

(ड़) कोषागार अभिलेखों से सत्यापन की स्थिति :– जिला कोषागार सासाराम से निकासी एवं जमा राशि को जिला कोषागार अभिलेख से शत् प्रतिशत् सत्यापन किया गया।

(च) महालेखाकार के पूर्व निरीक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन की स्थिति :– महालेखाकार के निरीक्षण प्रतिवेदन अंकेक्षण दल द्वारा मांग के बाबजूद प्रस्तुत नहीं किया गया। इसलिए अनुपालन संभव नहीं हो सका।

(छ) वित्त (अंकेक्षण) विभाग के पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन के अनुपालन की स्थिति :– अं0 प्र0 सं0– 75 / 2013–14 अंकेक्षण समाप्ति के के समय उपलब्ध नहीं कराया गया जिसमें किसी भी कंडिका का अनुपालन नहीं किया गया था। शेष लंबित अंकेक्षण प्रतिवेदन की जानकारी नहीं प्राप्त हो सकी। जिससे अनुपालन की स्थिति की जानकारी हो सके।

(3) वित्तीय समीक्षा

(i) आवंटन की स्थिति : – क्या आवंटन से अधिक निकासी की गई है। – नहीं। आवंटन एवं व्यय विवरणी प्रतिवेदन के परिशिष्ट ख पर अंकित है। जिसके अवलोकन से ज्ञात होगा कि आवंटन के अन्तर्गत ही व्यय किया गया था। कुछ इकाई में बची हुई बड़ी राशि का प्रत्यापर्ण किया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि बजट निर्माण सही ढंग से नहीं किया गया था अन्यथा इतनी बड़ी राशि का प्रत्यापर्ण नहीं होता।

अतः प्रशासी विभाग का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता है।

(ii) अनुदान की स्थिति में – क्या अनुदान से अधिक राशि व्यय किया गया है। नहीं।

(iii) प्राप्त अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रशासी विभाग को भेजा गया है?

उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं भेजा गया है। अनुदान से संबंधित आवंटन / आय एवं व्यय विवरणी प्रतिवेदन के परिशिष्ट ग पर अंकित है।

(iv) रोकड़पंजी के संवरण शेष का भौतिक सत्यापन की स्थिति :– सामान्य रोकड़ पुस्त में अंकेक्षण प्रारंभण तिथि दि0 – 4.6.14 को संवरण शेष के रूप में रू0 39898572.67 का भौतिक सत्यापन निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के द्वारा किया गया जिसका विस्तृत विवरणी निम्नवत् है :–

1. बैंक में भा0 स्टैट बैंक सासाराम खाता सं0 11133930499	23034712.33
2. अभिश्रव	3536874.83
3. अग्रिम	13187401.70
4. बी0 डी0	23136.00
5. चेक	200.00
6. एन0 एस0 सी0	20000.00

बिहार सरकार
वित्त (अंकेक्षण) विभाग
बिहार, पटना

अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या 58 / 2014–15

(1) परिचयात्मक

(क) अंकेक्षित लेखा का नाम – :– जिला नजारत कार्यालय, सासाराम, रोहतास।

(ख) अंकेक्षणान्तर्गत लेखावधिः– वर्ष – 2012–13।

(ग) प्रशासी विभाग का नामः– सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना।

(घ) अंकेक्षित अवधि के नियंत्री पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं कार्यकाल, :–

(1) श्री अनुप कुमार, भा0 प्र0 से0, जि0 पदा0 दि० 1.04.2012 से 15.1.13 तक।

(2) श्री रामचन्द्र टुड्डू, भा0 प्र0 से0, जि0 पदा0 दि0 16.1.13।

3) श्री संदीप कुमार, आर0 पुडकलकट्टी, भा0 प्र0 से0, जि0 पदा0 17.1.13 से 31.3.13 तक

4) श्री शिवरंजन, वि0 प्र0 से0 नजारत उप समाहर्ता दि0 1.4.12 से 31.3.13 तक

5) श्री राम विलास प्रसाद, प्रधान लिपिक, कार्यालय अधीक्षक, दि0 1.4.12 से 31.5.12 तक

6) श्री अनील कुमार गुप्ता, प्रधान लिपिक, कार्यालय अधीक्षक, दि0 1.6.12 से 8.12.12 तक

7) श्री शाहिद अखतर, प्रधान लिपिक, कार्यालय अधीक्षक, दि0 9.12.12 से 31.3.13 तक

7. न्याद	96247.81
कुल रू0	39898572.67

(v) रोकड़ पुस्त में संवरण शेष की स्थिति :– वर्ष 2012–13 में शीर्षवार प्रारम्भण एवं अन्तिम रोकड़ शेष विवरणी प्रतिवेदन में परिशिष्ट ''घ'' पर दर्शाया गया है। जिसमें अवलोकन से स्पष्ट होता है कि कुछ शीर्षो में आवंटन के विरूद्ध व्यय की प्रत्याशा में निकासी की गई राशि वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक व्यय नहीं किया गया था। फलस्वरूप रोकड़ शेष के रूप में एक बड़ी राशि पड़ी हुई पायी गई। जो बिहार वित्तीय नियमावली के नियम 13 एवं कोषागार संहिता भाग–1 के नियम 300 के विरूद्ध है।

सामान्य रोकड़ पुस्त में दिनांक – 1.4.12 को प्रारम्भण शेष के रूप में रू0 42999393.86 अंकित पाया गया जिसका विवरण निम्नवत् है।

1. बैंक में	31146257.62
2. अभिश्रव	4278703.83
3. अग्रिम	7518256.70

4. बी0 डी0	23136.00
5. चेक	200.00
6. एन0 एस0 सी0	20000.00
7. नगद	12839.71
कुल रू0	42999393.86

सामान्य रोकड़ पुस्त में दिनांक 31.3.13 को संवरण शेष के रूप में रू0 36888376.87 अंकित पाया गया जिसका विवरण निम्नवत् है।

1. बैंक में	24977273.53
2. अभिश्रव	3928137.83
3. अग्रिम	7900151.70
4. बी0 डी0	23136.00
5. चेक	200.00

6. एन0 एस0 सी0	20000.00
7. नगद	39477.81
कुल रू0	36888376.87

(4) अंकेक्षित कार्यालय में स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त बलों का विवरण – प्रतिवेदन के परिशिष्ट "ड़" पर संलग्न है।

भाग – 2

कंडिका – 5. बैंक लेखा विवरणी में रू0 45876.00 अंकित परन्तु स्थिति अस्पष्ट होने के कारण आपत्तिअन्तर्गत :–

बैंक लेखा विवरणी की जाँच एवं सत्यापन करने के क्रम में पाया गया कि कुछ चेक द्वारा प्राप्त राशि बैंक लेखा विवरणी में पाया गया परन्तु वह राशि किसी रोकड़ पुस्त के आय पक्ष में अंकित नहीं पायी गयी वह राशि कहाँ से प्राप्त हुआ इसकी जानकारी नहीं मिल सकी। क्यों किवह राशि कोषागार से भी नहीं निकासी की गई थी।

विवरणी निम्नवत् है।

क्रमांक	तिथि	चेक सं0	राशि
1	14.2.2013	417197	14076.00
2	1.03.13	282334	9800.00
3	25.3.13	911548	22000.00
		कुल रू0 :–	45876.00

इस संबंध में आपत्ति निर्गत किया गया। अनुपालन में बताया गया कि इसकी जाँच कर सूचना बाद में दी जायगी।

उल्लेखनीय है कि जब दिनांक 31.3.13 के संवरण शेष के राशि से जमा के विरूद्ध अंकित विस्तृत विवरणी में संवरण शेष की कुल राशि 45876.00 अधिक नहीं पायी गयी जबकि रोकड़ पुस्त के आय पक्ष में अंकित नहीं होने के फलस्वरूप जमा के रूप में अधिक पाया जाता।

प्रशासी विभाग को सुझाव दिया जाता है कि वास्तविकता की जाँच कर अनुपालन से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को अवगत करायी जाए, अन्यथा की स्थिति में तदनुसार कार्रवाई अपेक्षित होगी।

6. जेनरेटर पर व्यय रू0 18,000.00 संभावित दुर्विनियोग :–

माननीय मुख्य न्यशयाधीश, पटना उच्च न्यायालय का सासाराम में परिभ्रमण के साथ जिला अतिथि शाला में विश्राम दि0 6.4.12 से दि0 8.4.12 तक के लिए कार्यक्रम निर्धारित किया गया था। इसी प्रकार माननीय लाक सभा अध्यक्ष श्री मति मीरा कुमार का भी सासाराम जिलान्तर्गत परिभ्रमण एवं रात्रि विश्राम अतिथि गृह में दिनांक 8.4.12 से दि0 10.04. 12 तक निर्धारित था। शीर्ष 2053 से संबंधित अभिश्रव के जाँच में पाया गया कि उक्त दोनो माननीयों में आगमन पर भाड़े पर जेनरेटर लिया गया था। जिसका किराया का भुगतान किया गया था। जबकि अतिथि गृह में पूर्व से अवस्थित जेनरेटर के लॉग बुक के जाँच में पाया गया

कि उक्त अवधि में जेनरेटर चालू हाँलत में था जिसे चलने का प्रमाण एवं डिजल का खपत भी अंकित पाया गया। तो फिर भाड़े पर जेनरेटर लेने का क्या औचित्य था। जिसके किराये के रूप में रू0 18000.00 का भुगतान किया गया।

जेनरेटर पर व्यय से संबंधित विवरण निम्नवत है।

विपत्र सं0	अभिश्रव सं0	आपूर्तिकर्त्ता का नाम	जेनरेटर चलने की अवधि	भुगतान राशि	भुगतान तिथि
74 / 12–13	3	जीवन डेकोरेटर डालमिया नगर रोहतास	दि0 5.4.12 से 6.4.12	3000×2 = 6000.00	01.09.12
74 / 12–13	12	जीवन डेकोरेटर डालमिया नगर रोहतास	दि0 07.04.12 से 10.4.12	3000×4 = 12,000.00	01.09.12

				18000.00	

इस संबंध में आपत्ति निर्गत किया गया परन्तु अनुपालन संतोषजनक नहीं हो सका। उक्त स्थिति में भुझाव दिया जाता है कि प्रशासी विभाग द्वारा दुसरे जेनरेटर की आवश्यकता एवं उपयोग की वस्तविकता की छानवीन कर तदनुसार कार्रवाई अपेक्षित होगी। तत्काल रू0 18000.00 की संभावित दुर्विनियोग की श्रेणी में रखा जाता है।

कंडिका 7. दी गयी अग्रिम राशि से कम व्यय के फलस्वरूप अवशेष रू0 14410.00 वसूली योग्य :–

(1) समाहरणालय स्थित समार्हता के कक्षा में एल0 ई0 डी0 टी0 वी0 लगाने हेतु श्री दिलीप कुमार वर्मा सहायक नाजीर को सीधे चेक सं0 634095 दिनांक 11.3.13 के द्वारा रू0 30,000.00 अग्रिम स्वरूप दिया गया था। क्रय संबंधित सारी प्रक्रियाये पुरी करने के पश्चात सृष्टि सेल्स गॉधी मैदान पटना से एल0 ई0 डी0 टी0 वी0 का क्रय श्री वर्मा द्वारा किया गया था। शीर्ष 2053 से संबंधित अभिश्रवों के जाँच के क्रय पाया गया कि उपरोक्त टी0 वी0 के क्रय से संबंधित अभिश्रव सं0 1 जो मात्र रू0 27000.00 का ही प्रस्तुत किया गया है। शेष बची हुई राशि रू0 30,000– 27000.00 = 3000.00 को लौटाने का कही भी प्रमाण नहीं मिला जो श्री वर्मा से रू0 3000.00 वसूली योग्य होगा। निर्गत आपत्ति के अनुपालन में राशि वसूल कर जमा किये जाने की सूचना दी गयी है परन्तु विवरण अप्रस्तुत रहा।

(2) इसी प्रकार शीर्ष 2202 शिक्षक से संबंधित अभिश्रवों के जाँच के क्रय में पाया गया कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित स्नातक स्तरीय (प्रारम्भिक) प्रतियोगिता परीक्षा के सफल संचालन हेतु पदाधिकारी एवं कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति की गई थी। प्रतिनियुक्ति पदाधिकारी एवं कर्मचारी को निर्धारित दर से मानदेय का भुगतान करने का भी प्रावधान था। इसी क्रम में श्री दिलीप कुमार वर्मा सहायक नाजीर के नाम से एक चेक सं0 353686 दिनांक 15.12.12 रू0 7810.00 का निर्गत था। बैंक स्टेट मेंट के आधार पर यह चेक श्री वर्मा को प्रतिनियुक्ति कर्मी को मानदेय भुगतान करने के लिए दिया गया था। परन्तु श्री वर्मा द्वारा प्राप्त राशि रू0 7810.00 के विरूद्ध मात्र 2900.00 का ही अभिश्रव प्रस्तुत किया गया था जो निम्नवत् है।

अभिश्रव सं0	कार्य का प्रयोजन	अभिश्रव की राशि	भुगतान तिथि	सहायक रोकड़ प्रस्तुत में प्रविष्ट
55	मनदेय का भुगतान	350.00	12.12.12	22.02.13
56	मनदेय का भुगतान	1950.00	12.12.12	22.02.13
57	मजदूरी	600.00	12.12.12	22.02.13

		कुल रू0	2900.00	

इस प्रकार चेक द्वारा प्राप्त राशि रू0 7810 प्रस्तुत अभिश्रव रू0 2900.00 शेष बची राशि रू0 4910.00 श्री वर्मा से वसूली योग्य होगा। क्योकि बची हुई राशि को लौटाने का कोई भी प्रमाण प्रस्तुत नहीं दिया गया। निर्गत आपत्ति के अनुपालन क्रम में रू0 2900.00 वसूल किये जाने की सूचना ही गयी पर विवरण अप्रस्तुत रहा साथ ही पूर्व राशि की वसूली अपेक्षित है।

(3) इसी प्रकार शीर्ष 2070 परिसदन से संबंधित अभिश्रव के जाँच एवं सत्यापन सहायक रोकड़ पुस्त से करने के क्रय में पाया गया कि श्री दिलीप कुमार वर्मा सहायक नाजीर को चेक सं0 – 634094 दिनांक – 12.3.13 के माध्यम से दो एयरकंडिशन एवं एक एल0 ई0 डी0 टी0 बी0 क्रय करने हेतु सीधे रू0 99000.00 भुगतान किया गया था।

उक्त समानों के क्रय करने हेतु सारी प्रक्रिया का पालन किया गया या पाया गया। परन्तु श्री वर्मा द्वारा प्राप्त अग्रिम रू0 99000.00 के विरूद्ध मात्र रू0 92500.00 का ही अभिश्रव प्रस्तुत किया गया जिसमें रू0 57000.00 का दो एयरकंडिशन एवं रू0 35500.00 का एक एल0 ई0 डी0 टी0 बी0 इस प्रकार रू0 57000.00 + 35500.00 = 92500.00 का ही अभिश्रव था।

इस प्रकार रू0 99000 – 92500.00 = 6500.00 श्री वर्मा से वसूली योग्य होगी क्योकि बची हुई राशि को जमा करने का कोई प्रमाण नहीं दिखाया गया। यद्यपि अनुपालन में रू0 6500.00 वसूल कर लिये जाने की सूचना दी गयी।

इस प्रकार (i) 3000 रू0 + (ii) 4910.00 + (iii) 6500.00 = रू0 14410.00 श्री वर्मा से वसूली योग्य होगी।

इस संबंध में आपत्ति निगर्त किया गया। परन्तु अनुपालन क्रम में आंशिक रूप से राशि वसूल किये जाने की सूचना है। यद्यपि जमा सत्यापित नहीं कराया गया। इस तरह श्री वर्मा से रू0 14410.00 वसूल / सांमजित कर वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को अवगत कराया जाए। तत्काल आपत्ति अंतर्गत रखा जाता है।

8. पेशाकर मद में रू0 1000.00 वसूली योग्य :–

शीर्ष 2053 अन्तर्गत वेतन भुगतान पंजी सहायक रोकड़ पुस्त एवं आयकर विवरणी के जाँच के क्रम में पाया गया कि श्री कपुर चन्द्र राम, लिपिक का वित्तीय वर्ष 2012–13 में पेशावर की कटौती नहीं की गई थी। श्री राम को वेतन श्रोत से प्राप्त कुल आय रू0 362343.00 था। जिस पर नियमानुसार रू0 1000.00 पेशावर के रूपये कटौती करनी थी परन्तु उनसे उक्त कटौती नहीं की गई थी।

यह बिहार सरकार वाणिज्य कर विभाग के पत्रांक बिक्री कर / आय कर 4/2011–1930 पटना दिनांक 07.05.2012 का स्पष्ट उलंधन है। अनुपालन में बताया गया कि वसूली की कार्रवाई की जा रही है।

अतः संबंधित क्योकि से रू0 1000.00 उनके वेतन से कटौती कर उचित शीर्ष में जमा किया जाये। साथ ही नियमानुसार / संबंधित / दोषी व्यक्ति से दण्ड शूल्क भी वसूली की जा सकती है।

की गई कार्रवाई से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को अवगत कराया जाए।

कंडिका 9. फजलगंज स्टेडियम एवं अन्य निमार्ण से संबंधित व्यय रू0 40,00,000.00 आपत्तिअन्तर्गत :–

शीर्ष 4059 भवन निमार्ण विभाग अन्तर्गत लोक निर्माण कार्य के ज्ञापांक 370 एवं 371 दिनांक – 4.10.2012 के द्वारा क्रमशः 4000000.00 एवं 1000000.00 रू0 का आवंटन जिला पदाधिकारी सासाराम को किया गया था। उक्त आवंटन जिले में स्टेडियम संबंधित कार्य कराने हेतु किया गया था। साथ ही और भी अण्य योजनाओं हेतु राशि आवंटित की गई थी जिसे पूर्ण कराने हेतु कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल सासाराम को राशि उपलब्ध करायी गई थी – विवरण निम्न वत् है।

क्रम सं0	विपत्र सं0	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि	भुगतीत राशि	अभिकर्त्ता का नाम
1	312 / 12–13	प्राक्कलित आपदा संचालन केन्द्र का निर्माण	5,00,000.00	5,00,000.00	कार्य प्रमण्डल ग्रामीण कार्य विभाग सासाराम
			चेक सं0	634137	
				26-03-2013	
2	306 / 12–13	स्टेडियम के अतिरिक्त खिलाड़ियों के लिए छपरा निर्माण एवं रसोई घर एवं चादर दिवारी निमार्ण आदि	40,52,000.00	20,26,000.00	कार्य प्रमण्डल ग्रामीण कार्य विभाग सासाराम
			चेक सं0	634131	
				26-03-2013	
3	307 / 12–13	स्टजन्ड्रे सिंहरूम एवं फुटबॉल स्टेडियम जीम भवन निमार्ण आदि	9,48,000.00	4,74,000.00	कार्य प्रमण्डल ग्रामीण कार्य विभाग सासाराम
			चेक सं0	634131	
				26-03-2013	
4	317 / 12–13	प्रेम नगर अकोड़ी में स्टेडियम निमार्ण	10,00,000.00	10,00,000.00	कार्य प्रमण्डल ग्रामीण कार्य विभाग सासाराम
			चेक सं0	521440	
				25-01-2013	
			कुल रू0	40,00,000.00	

योजना से संबंधित जो अभिलेख उपलब्ध कराये गये वे सभी अधूरे थे। जाँच में पाया गया कि योजना अभिलेख एवं मापी पुस्त के अलावे मूल रूप से अभिश्रव एवं मास्टर रौल का

संलग्न होना अनिवार्य है। परन्तु बिना अभिश्रव एवं मास्टर रौल के ही अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया था। जिससे वयय की जाँच संभव नहीं था। अथवा पूर्व जाँच नहीं की जा सकी।

इस संबंध में लिखित एवं मौखिक रूप से कई बार वांछित अभिलेखों की मांग की गई परन्तु अभिलेख अंकेक्षण समाप्ति तक उपलब्ध नहीं कराया जा सका। निर्गत आपत्ति में अनुपालन में बताया गया की कार्यवाई की जा रही है।

अतः संबंधित अभिलेख उपलब्ध कराया तथा योजना का कार्य पूर्ण होने की वास्तविकता की जाँच कर अनुपालन से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को अवगत कराया जाए। तब तक स्टेडियम निमार्ण से संबंधित व्यय रू0 4000000.00 को आपत्ति अन्तर्गत रखा जाता है।

10 विधुत मद में विलम्ब शुल्क का भुगतान रू0 3002.00 सरकारी राशि की क्षति अन्तर्गत :–

शीर्ष 2053 अन्तर्गत विद्युत संबंधित अभिश्रवों में जाँच में क्रम में पाया गया कि माह अक्टूबर 2012 के विद्युत विपत्र का भुगतान विलम्ब शुल्क के साथ जमा किया गया था।अकस्मिकता पंजी एवं आवंटन के जाँच में पाया गया कि वर्ष 12–13 में उक्त मद में आवंटन रहने के बाबजूद भी विलम्ब से विपत्र को जमा किया गया। जिससे विलम्ब शुल्क के साथ राशि का भुगतान करना पड़ा। फलस्वरूप सरकारी राशि की क्षति हुई।

विवरण निम्नवत् है।

क्रम सं0	उप इकाई	उपभोक्त सं०	विपत्र की अवधि	राशि जमा करने की अवधि	विपत्र की राशि	निर्धारित तिथि के बाद जमा राशि
1	2	3	4	5	6	7
1.	समाहरणालय	5519046	अक्टूबर 12	दि0 30.11.12 से 10.12.12	129927.00	131902.00
2.	एन0 आई0 सी0 अधिक जमा राशि (विलम्ब शुल्क) 8	5599474	अक्टूबर 12	दि0 30.11.12 से 10.12.12	67602.00	68629.00
		1975.00 1027.00				
	कुल रू0	3002.00				

अतः विद्युत में विलम्ब शुल्क के रूप में अधिक जमा की गई राशि जो सरकारी राशि की क्षति है संबंधित व्यक्ति से वसूलकर उचित शीर्ष में जमा किया जाय। की गई कार्य वाई से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को अवगत कराया जाए। भविष्य में इसकी पुनरावृति पर भी रोक अपेक्षित है।

(11) बैट की राशि कटौती नहीं करने के फलस्वरूप रू0 3200.00 क्षति वसूली योग्य :–

शीर्ष 2029 से संबंधित अभिश्रवों में जाँच के क्रय में पाया गया कि कुछ विपत्र में बैट की राशि काटकर भुगतान करना था। परन्तु ऐसा न कर बैट की राशि सहित पूर्ण राशि का भुगतान कर दिया पाया गया। जो बिहार मूल्यवर्द्धित कर नियमावली 2005 की धारा 40 एवं नियम 28 के विपरीत है।

विवरण निम्नवत् है।

विपत्र सं0	अभिश्रव सं0	भुगतान प्राप्त करने वाले का नाम	मद	राशि	भुगतान योग्य राशि	भुगतीत राशि	अधिक भुगतान राशि एवं तिथि

1	2	3	4	5	6	7	8
179 / 12–13	1	पेन्टर दामोदर	बोर्ड के नापी तैयारी एवं फिटिंग	8000.00	7600.00	8000.00	400 / 14.12.12
				– 400.00 vat 5 %			
				7600.00			
178 / 12–13	1	एस के आधार सेट प्रिंटर जी0 टी0 रोड0 सासाराम	लोक सेवा का अधिकार का पावति रसीद की छपाई (2 लाख	56000.00	53200.00		2800 / 14.12.12

			प्रति 285 प्रति हजार				
				– 2800.00 vat 5 %			
				53200.00		व्यय रू0	3200.00

इस प्रकार विपत्र सं0 179 एवं अभिश्रव सं0 1 में रू0 400.00 + तथा विपत्र सं0 178 एवं अभिश्रव सं0 1 में रू0 2800.00 = कुल रू0 3200.00 बैट में रूपये कटौती कर वाणिज्य कर विभाग में जमा किया जाना चाहिए था। संबंधित दूकान द्वारा भी बैंट की राशि को जमा करने का प्रमाण भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः बैट के रूप में नहीं कटौती की गई राशि रू0 3200.00 को वसूल कर उचित शीर्ष में जमा कर की गई कार्यवाई से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत करायी जाय।

12. अग्रिम की राशि रू0 660000.00 समायोजन हेतु लंबित :–

वित्तीय वर्ष 2012 – 13 से संबंधित अग्रिम पंजी के जाँच एवं सत्यापन में क्रय में पाया गया कि विभिन्न शीर्षो में विभिन्न कार्यो हेतु अग्रिम स्वरूप राशि प्रदान की गई थी। जिसका समायोजन अंकेक्षण समाप्ति तक नहीं किया जा सका था

विवरण निम्नवत् है।

क्रय सं0	अग्रिम प्राप्त करने वाले पदा० का नाम एवं पदनाम	अग्रिम का प्रयोजन	अग्रिम की राशि	अग्रिम भुगतान तिथि	शीर्ष का नाम
1	श्री इन्द्रजीत कुमार, पदाधिकारी, प्रवर पुलिस लाईन डिहरी,	झंडोतोलन में अवसर पर वाहन सजाने हेतु	2000.00	22.08.12	2053
2	श्री संजय कुमार खेल पदा0	युवा महोत्सव हेतु	50,000.00	27.02.2012	2053
3	श्री संतोष तिवारी, प्रवर	गणतंत्र दिवस पर सलामी परेड हेतु	2000.00	14.02.12	2053
4	श्री आशुतोष कुमार सिंह,	जणगणना	5500.00	26.03.13	8434

	कनीय सांख्यिकि सहायक	रजिस्टर कार्य हेतु पटना।			
5	नवरतन सिंह, अन्नु सेवक जिला – सांख्यिकी	जणगणना रजिस्टर कार्य हेतु पटना।	500.00	26.03.13	8434
6	अनुमंडल पदाधिकारी, डिहरी	मृतक के आश्रित को अनुदान की राशि का वितरण	600000.00	26.03.13	8434
		कुल रू0	6,60,000.00		

ज्ञातव्य है कि दिनांक – 01.04.2012 के प्रारम्भण शेष में रू0 7518256.70 लंबित है जो अंकेक्षण बीच के पूर्व अवधि का था जिसका भी समायोजन कर किया जाए। उपरोक्त कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों से वर्ष 2012–13 में संबंधित अग्रिम की राशि का समायोजन किया जाय की गई कार्यवाई से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को भी अवगत करायी जाय।

13. अनावश्यक रूप से पड़ी हुई राशि रू0 12418031.00 को उचित शीर्ष में जमा करने के संबंध में।

सामान्य रोकड़ पुस्त के जाँच एवं अवलोकन से ज्ञात हुआ कि लेखा वर्ष 2012–13 में कुछ शीर्षो में अनावश्यक रूप से संवरण शेष में एक बड़ी राशि पड़ी हुई है। जिसे खर्च के प्रत्याशा के कोषागार से निकासी की गई थी, परन्तु लम्बे अन्तराल के बाद भी राशि व्यय नहीं की जा सकी। जो बिहार कोषागार संहिता भाग–1 नियम 300 में प्रतिकूल है। नियमानुसार प्राप्त आवंटन से कोषागार द्वारा उतनी ही राशि की निकासी की जानी है जिसकी तत्काल व्यय की आवश्यकता है साथ ही व्यय के पश्चात बची राशि को संबंधित शीर्ष में कोषागार में इसी वित्तीय वर्ष के अंत में जमा कर देना चाहिए था।

अव्यवहृत राशि से संबंधित विवरणी निम्नवत् है :–

क्रम सं0	शीर्ष	दिनांक 01.04.12 को प्रारम्भण शेष	दिनांक 31.3.13 को संवरण शेष
1	आकस्मिकता	8740092.00	8740092.00
2	2055 पुलिस	131228.00	131228.00
3	आजादी के 50 वीं	7670.00	7670.00

	वर्ष गाँठ		
4	8475 चूदबंदी	260.00	260.00
5	सूद	6444088.00	1628949.00
6	विकास	1909832.00	1909832.00
			12418031.00

अतः सामान्य रोकड़ पुस्त में दिनांक – 31.03.12 को बची हुई राशि अविलम्ब उचित शीर्ष में जमा किया जाय की गई कार्यवाई से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को भी अवगत करायी जाय।

14. असमायोजित अभिश्रव की राशि रू0 3928137.83 समायोजन के संबंधित में।

सामान्य रोकड़ पुस्त के संवरण शेष (वर्ष – 12–13) दि० 31.3.13 को जाँच में पाया गया कि अभिश्रव में बड़ी राशि रू0 3928137.83 संवरण शेष में समायोजन हेतु लंबित पड़ा हुआ है। इस संबंध में अभिश्रव पंजी की मांग की गई परन्तु पंजी उपलब्ध नहीं कराया जा सका जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका कि इतनी बड़ी राशि किस मद का एवं कब से लंबित है।

अतः अंकेक्षण का सुझाव होगा कि जिस मद से संबंधित अभिश्रव संबंधित है उस मद में (शीर्ष में) आवंटन प्राप्त कर लंबित पड़े हुए अभिश्रव का अविलम्ब समायोजन किया जाये की गई कार्यवाई से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को भी अवगत करायी जाय।

15. सहायक रोकड़ पुस्त के आय पक्ष में रू0 15780.00 की प्रविष्टि स्थिति अस्पष्ट, स्पष्ट करने का सुझाव :—

विभिन्न सहायक रोकड़ पुस्त के आय पक्ष में प्रविष्टि की राशि का सत्यापन बैंक लेखा विवरणी से करने के क्रम में पाया गया कि कुछ सहायक रोकड़ पुस्त के आय पक्ष में राशि कि प्रविष्टि की गई है। परन्तु वह राशि बैंक के खाते में जमा नहीं पाया गया। जिससे यह स्पष्ट नहीं हो सका िकवह राशि कहॉ से सहायक रोकड़ पुस्त के आय पक्ष में अंकित किया गया।

विवरणी निम्नवत् है।

क्रमांक	शीर्ष	सहायक रोकड़ पुस्त में अंकित तिथि	चेक सं0 एवं तिथि	राशि
1	2202 शिक्षा	3.7.12	879404 / 7.2.12	13880.00

2	2202 शिक्षा	3.7.12	879366 / 7.2.12	400.00
3	प्रा० वि० प० स०	3.7.12	45862 / 19.04. 2012	1500.00
			कुल रू0	15780.00

इस संबंध में आपत्ति निर्गत किया गया परन्तु अनुपालन में बताया गया कि जाँच एवं बैंक से सत्यापन के पश्चात् बाद में सूचना दी जायेगी।

अतः निकासी एवं व्ययन पदा० का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता है कि अपने स्तर से इसकी जाँच कर वित्त (अंकेक्षण) विभाग को स्थिति से अवगत करायी जाय।

उप लेखा नियंत्रक
वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना।

मिलान एवं शुद्धि कर्त्ता का ह0
राज किशोर सिंह, व0अं0-2

परिशिष्ट " क "

कंडिका 1 "ट" से संबंधित)

वर्ष 2012 – 13 के प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची :–

(क) प्रस्तुत अभिलेख :–

1 सामान्य रोकड़ पुस्त :–

2 सहायक रोकड़ पुस्त (सूची शिर्षो का)

3 विपत्र पंजी (शीर्ष 2053, 2029 एवं 3456)

4 वेतन भुगतान पंजी (शीर्ष 2053, 2029 एवं 3456)

5 यात्रा भुगतान पंजी

6 यात्रा भुगतान विपत्र की कार्यालय प्रति :–

7 अस्थायी अग्रिम पंजी

8 आकस्मिक व्यय से संबंधित अभिश्रव

9 बैंक विवरणी

10 अस्थायी भंडार पंजी आंशिक छोड़कर

11 आकस्मिकता पंजी

12 चेक निर्गत पंजी

12 गाड़ी का लॉग बुक आंशिक

13 जेनरेटर का लॉग बुक

(ख) अप्रस्तुत अभिलेख की सूची :–

1 आवंटन पंजी

2 कर्मचारियों का सेवा पुस्त

3 क्रय संबंधि संचिका

4 चेक ड्राफ्ट आगत पंजी

5 वेतन विवरणी

6 स्थायी भंडार पंजी

7 टेलिफोन का लॉग बुक

8 गाड़ी का हिस्ट्री बुक

9 गाड़ी का लॉग बुक

10 बकाये वेतन का विवरणी

11 भंडार पुस्त आंशिक

परिशिष्ट ''ख'' कंडिका सं0 3(1) से संबंधित					
शीर्ष 2053 जिला प्रशासन अन्तर्गत वितीय वर्ष – 2012–13 में प्राप्त आवंटन एवं व्यय विवरणी :–					
क्र० सं०	ईकाई का नाम	वर्ष 12–13 में प्राप्त आंवटन	वर्ष 12–13 में कुल व्यय राशि	अवशेष एवं प्रत्यार्पित राशि	प्रत्यर्पण का पत्रांक एवं दिनांक
1	वेतन	4,26,50,000.00	2,53,06,873.00	1,73,43,127.00	पत्रांक 348 दिनांक – 12.4.13
2	विशेष वेतन	10,000.00	0.00	10,000.00	,,
3	जीवन यापन भत्ता	2,28,47,500.00	1,59,09,294.00	69,38,206.00	,,
4	मकान किराया भत्ता	1,13,72,500.00	18,28,805.00	95,43,695.00	,,
5	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	5,20,000.00	2,90,993.00	2,29,007.00	,,
6	अन्य भत्ता	52,000.00	40,984.00	11,016.00	,,
7	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	60,000.00	57,222.00	2,778.00	,,
8	यात्रा भत्ता	1,00,000.00	92,494.00	7,506.00	,,
9	कार्यालय व्यय	23,00,000.00	22,09,425.00	90,575.00	,,
10	वाहन (इंधन) एवं रख रखाव	12,00,000.00	11,97,168.00	2,832.00	,,
11	दूरभाष	1,25,000.00	1,11,190.00	13,810.00	,,
12	विघुत	33,77,000.00	3,01,542.00	30,75,458.00	,,
13	वर्दी / पोशाक	1,75,000.00	68,872.00	1,06,128.00	,,
14	किराया महसूल एवं कार	90,000.00	0.00	90,000.00	,,
15	आतिथ्य व्यय	3,25,000.00	1,49,739.00	1,75,261.00	,,
16	कॉन्फ्रेंस कार्य सेमिनार	15,000.00	0.00	15,000.00	,,
17	सामग्री एवं आपूर्ति	50,000.00	0.00	50,000.00	,,
18	व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएँ	11,00,000.00	7,07,940.00	3,92,060.00	,,

शीर्ष 2029 भू राजस्व 104 सरकारी सम्पदाओं का प्रबंधन में अन्तर्गत वर्ष – 2012–13 में प्राप्त आवंटन एवं व्यय विवरणी :–

क्र० ,सं०	ईकाई का नाम	वर्ष 12–13 में प्राप्त आंवटन	वर्ष 12–13 में कुल व्यय राशि	अवशेष एवं प्रत्यार्पित राशि	प्रत्यर्पण का पत्रांक एवं दिनांक
1	वेतनादि	9,16,40,000.00	9,01,75,340.00	14,64,660.00	पत्रांक 551 दिनांक – 31.03.13
2	यात्रा भत्ता	2,78,000.00	29,230.00	2,48,770.00	,,
3	कार्यालय व्यय	11,90,800.00	9,46,361.00	2,44,439.00	,,
4	वाहन (इंधन) एवं रख रखाव	32,35,000.00	21,52,602.00	10,82,398.00	,,
5	दूरभाष	4,78,800.00	14,901.00	4,63,899.00	,,
6	वर्दी	2,26,500.00	1,29,522.00	96,978.00	,,
7	विघुत	18,11,000.00	1,16,556.00	16,94,444.00	,,
8	वि0 लो0 सेवा0 का अधिकार	42,27,500.00	34,56,103.00	7,71,397.00	पत्रांक 586 दिनांक – 03.4.13
9	महादलित परिवार का सर्वेक्षण हेतु का0 व्यय	19,00,000.00	5,93,032.00	13,06,968.00	पत्रांक 551 दिनांक – 31.03.13
10	व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएँ	11,95,000.00	66,866.00	11,28,134.00	,,

शीर्ष 2205 कला एवं संस्कृति में वर्ष 12–13 में प्राप्त आवंटन एवं व्यय विवरणी					
क्र० सं०	ईकाई का नाम	वर्ष 12–13 में प्राप्त आंवटन	वर्ष 12–13 में कुल व्यय राशि	अवशेष एवं प्रत्यार्पित राशि	प्रत्यर्पण का पत्रांक एवं दिनांक
1	जिला स्तरीय युवा उत्सव	1,00,000.00 84000+16000	0.00	1,00,000.00 84000+16000	154 एवं 155 / 30.3.13
2	स्थापना दिवस	2,52,000.00	2,42,237.00	9,763.00	157 / 30.3.13
3	आपकी सरकार आपके द्वार	1,98,750.00	56,250.00	1,42,500.00	152 / 30.3.13

शीर्ष 2055 पुलिस के अन्तर्गत प्राप्त आवंटन एवं व्यय विवरणी वित्तीय वर्ष 12–13					
क्र० सं०	ईकाई का नाम	वर्ष 12–13 में प्राप्त आंवटन	वर्ष 12–13 में कुल व्यय राशि	अवशेष एवं प्रत्यार्पित राशि	प्रत्यर्पण का पत्रांक एवं दिनांक
1	कार्यालय व्यय	14,23,100.00	0.00	14,23,100.00	156 / 30.3.13
2	वाहन का ईधन एवं रख रखाव	21,28,000.00	0.00	21,28,000.00	,,
3	व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएँ	17,67,000.00	0.00	17,67,000.00	,,

शीर्ष 3456 आपूर्ति अन्तर्गत वितीय वर्ष – 2012–13 में प्राप्त आवंटन एवं व्यय विवरणी :–					
क्र० सं०	ईकाई का नाम	वर्ष 12–13 में प्राप्त आंवटन	वर्ष 12–13 में कुल व्यय राशि	अवशेष एवं प्रत्यार्पित राशि	प्रत्यर्पण का पत्रांक एवं दिनांक
1	वेतन	55,00,000.00	57,27,047.00	-2,27,047.00	पत्रांक 629 दिनांक – 30.3.13
2	महगाई भत्ता	50,50,000.00	42,89,317.00	7,60,683.00	,,
3	मकान भाड़ा	6,95,000.00	5,02,035.00	1,92,965.00	,,
4	चिकित्सा भत्ता	66,000.00	60,728.00	5,272.00	,,
5	अन्य भत्ता	2,000.00	1,980.00	20.00	,,
6	यात्रा भत्ता	25,000.00	3,857.00	21,143.00	,,
7	कार्यालय व्यय	40,000.00	32,900.00	7,100.00	,,
8	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	9,000.00	0.00	9,000.00	,,
9	वर्दी / पोशाक	3,700.00	3,671.00	29.00	,,
10	विघुत	10,000.00	0.00	10,000.00	,,
11	प्रकाशन एवं मुद्रण ईकाई	62,250.00	0.00	62,250.00	,,
12	जन वितरण कम्प्यूटराईजेशन (कार्यालय व्यय)	11,50,000.00	2,06,149.00	9,43,851.00	,,

शीर्ष 2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएँ अन्तर्गत वितीय वर्ष – 2012–13 में प्राप्त आवंटन एवं व्यय विवरणी :–

परिसदन

क्र० सं०	ईकाई का नाम	वर्ष 12–13 में प्राप्त आंवटन	वर्ष 12–13 में कुल व्यय राशि	अवशेष एवं प्रत्यार्पित राशि	प्रत्यर्पण का पत्रांक एवं दिनांक
1	कार्यालय व्यय	1,10,000.00	18,790.00	91,210.00	पत्रांक 153 दिनांक – 30.3.13
2	दूरभाष	20,000.00	492.00	19,508.00	,,
3	विघुत	40,000.00	40,000.00	0.00	,,
4	किराया महसूल एवं धर	10,500.00	0.00	10,500.00	,,
5	सामग्री आपूर्तियाँ	5,00,000.00	2,42,792.00	2,57,208.00	,,
6	व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएँ	45,000.00	0.00	45,000.00	,,

शीर्ष "ग" कंडिका सं0 3 (iii) से संबंधित						
वर्ष – 2012–13 में विभिन्न शिर्षों में चेक द्वारा प्राप्त आय एवं व्यय विवरणी :–						
क्र० सं०	शीर्ष का नाम	दि0 1.4.12 के पूर्व का शेष राशि	वर्ष 12–13 में चेक द्वारा प्राप्त राशि	कुल प्राप्त आय राशि	व्यय गत राशि	अवशेष राशि
1	2029	0.00	19,49,443.00	19,49,443.00	0.00	19,49,443.00
2	2053	0.00	69,24,000.00	69,24,000.00	63,29,459.00	5,94,541.00
3	2235	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
4	इंटर मिडिएट परीक्षा	42,230.00	13,28,688.00	13,70,918.00	6,31,911.00	7,39,007.00
5	बि0 वि0 परीक्षा स0	98,350.00	32,200.00	1,30,550.00	36,175.00	94,375.00
6	2205 शिक्षा	37,12,649.00	1,29,460.00	38,42,109.00	2,40,156.00	36,01,953.00
7	निर्वाचन	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	5,400.00

परिशिष्ट ''ग'' कंडिका सं0 3 (iii) से संबंधित

शीर्ष 2245 प्राकृतिक आपदा अन्तर्गत वर्ष – 2012–13 में अनुदान मद में प्राप्त आवंटन एवं व्यय विवरणी :–

क्र० सं०	उपशीर्ष	वित्तीय वर्ष 12–13 में प्राप्त आंवटन	वर्ष 12–13 में कुल व्यय राशि	अवशेष एवं प्रत्यार्पित राशि	प्रत्यर्पण का पत्रांक एवं दिनांक
1	जगरूकता एवं क्षमता निमार्ण (प्रशिक्षण व्यय)	19,125.00	2,550.00	16,575.00	पत्रांक 62 दिनांक – 31.03.13
2	वज्रपात अनुदान (प्रशिक्षण व्यय)	3,00,000.00	2,00,000.00	1,00,000.00	,,
		1,00,000.00	1,00,000.00	0.00	
3	निसहायों / विकलांगो को अनुदान	56,985.00	0.00	56,985.00	,,
4	आग लगने से क्षतिग्रस्त वस्त्रादि अनुदान	1,83,500.00	25,972.00	1,57,528.00	,,
	कुल राशि	6,59,610.00	3,28,522.00	3,31,088.00	
1	जगरूकता एवं क्षमता निमार्ण (प्रशिक्षण व्यय)	10,000.00	0.00	10,000.00	60 / 31.03.13

शीर्ष 2014 न्याय प्रशासन अन्तर्गत वर्ष – 2012–13 में अनुदान मद में प्राप्त आवंटन एवं व्यय विवरणी :–

क्र० सं०	इकाई का नाम	वित्तीय वर्ष 12–13 में प्राप्त आंवटन	वर्ष 12–13 में कुल व्यय राशि	अवशेष एवं प्रत्यार्पित राशि	प्रत्यर्पण का पत्रांक एवं दिनांक
1	व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएँ	17,00,000.00	16,98,480.00	1,520.00	पत्रांक 30 दिनांक – 30.03.13
2	व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएँ	48,000.00	42,000.00	6,000.00	,,
3	विधि प्रभार	45,000.00	44,961.00	39.00	,,

परिशिष्ट ''घ' कंडिका सं0 3 (v) से संबंधित

वर्ष – 2012–13 में शीर्ष वार प्रारम्भण शेष एवं संवरण शेष का विवरणी :–

क्र० सं०	शीर्ष का नाम	दिनांक 1.4. 12 को प्रारंम्भण शेष	दिनांक 31. 03.13 को संवरण शेष
1	2053 जिला प्रशासन	33,86,233.04	37,84,411.04
2	आकस्मिकता	87,40,092.30	87,40,092.30
3	नक्शाबिक्री	39,250.00	49,047.00
4	सरकारी पावती	9,96,571.99	9,54,421.99
5	परिवार कल्याण	10,023.56	9,603.56
6	विकाश	19,09,832.00	19,09,832.00
7	2015 निर्वाचन	1,10,531.92	1,15,931.92
8	2071 पेंशन	0.00	0.00
9	2055 पुलिस	1,31,228.00	1,31,216.00
10	2029 भू राजस्व	1,05,18,443.46	87,53,099.46
11	3456 आपूर्ति	7,77,038.00	7,60,302.00
12	8009 सा0 भ0 नि0	0.00	0.00
13	8011 ग्रुप बिमा योजना	0.00	0.00
14	2235 सा0 सु0	54,850.00	54,750.00
15	बि0 वि0 प्र0 स0	98,350.00	94,375.00
16	2070 परिसदन	1,65,251.00	72,705.00
17	8434 जनगणना	14,09,170.20	14,19,170.20
18	2014 न्याय प्रशासन	41,60,177.00	15,63,030.00
19	इंटरमीडिएट परीक्षा	42,230.00	7,39,007.00
20	अजादी के 50वीं वर्ष गाठ	7,670.30	7,670.40
21	254 राजकोष	0.00	0.00
22	2042 ब्याज अदायगी	1,44,223.04	0.00
23	2202 शिक्षा	37,12,649.00	35,97,953.00

24	8475 भू हदवंदी	260.00	260.00
25	2015 ग्रामीण विकास	1,34,221.00	25,02,550.00
26	सूद	64,44,088.05	16,28,949.00
27	2030 स्टांप	0.00	0.00
28	2055 पुलिस गुप्त सेवा	7,010.00	0.00
	कुल योग	4,29,96,393.86	3,68,88,376.87

परिशिष्ट "ड़" कंडिका 4 से संबंधित

शीर्ष 2053 जिला प्रशासन अन्तर्गत स्वीकृत एवं कार्यरत बलों की विवरणी

क्र० सं०	पदनाम	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	रिक्त	अभ्युक्ति
1	वरीय उप समाहर्त्ता	11	9	2	
2	लिपिक	70	51	19	
3	अनुसेवक	32	30	2	
4	झाड़ूकश	1	1	0	
5	चालक	3	3	0	
6	प्रधान लिपिक	1	1	0	

शीर्ष 2029 भूराजस्व

क्र० सं०	पदनाम	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	रिक्त	अभ्युक्ति
1	अपर समाहर्त्ता	2	1	1	
2	आशुलिपिक	1	1	0	
3	प्रधान लिपिक	1	1	0	
4	लिपिक	15	7	8	
5	बाल पंचट अमीन	5	3	2	
6	कार्यालय पश्चिारी	10	10	0	
		34	23	11	

शीर्ष 3456 जिला आपूर्ति					
क्र० सं०	पदनाम	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	रिक्त	अभ्युक्ति
1	जिला आपूर्ति पदाधिकारी	1	1	0	
2	प्रधान लिपिक	1	1	0	
3	लिपिक	8	3	5	
4	अनुसेवक	3	3	0	
		13	8	5	